आदेशिका

(नियम 26)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

हरपालसिंह बनाम सुरेन्द्र कुमार आदि

प्रकरण का प्रकार क्रमांक सन 2016

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
09.7.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा के स्थगन दिनांक 21.05.2018 के मौके की यथास्थिति के बावजूद अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की गैर मौजूदगी में जबरन घुसकर स्थगन आदेश की अवहेलना की है तथा घटना बही में समय का अंकन करना कानूनन आवश्यक है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा समय का वर्णन नहीं किया है। अतः स्थगन आदेश की अवमानना के लिए अप्रार्थीगण के दोषी मानते हुए इन्हें दण्डित किया जावे तथा श्रीमान न्यायायल द्वारा जारी स्थगन आदेश चक 2 एनटीडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नं. 189/161 मुरब्बा ने. 11 किला नं. 22 में 0.011 है. भूमि की दिनांक 21.05.2018 के दिवस की स्थिति बहाल की जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर आदेशों की हवहेलना नहीं की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2018 में पटवारी हल्का को यह निर्देश प्रदान किये थे कि यदि सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो उक्तानुसार पालना करें, लेकिन प्रशिक्षु पटवारी होने के कारण व्यवहारिक अज्ञानतावश दिनांक 22.05.2018 को रास्ता खुलवाया गया है। प्रार्थी द्वारा पटवारी को स्थगन आदेश की प्रति समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि उसका उत्तरदायित्व था। माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है फिर भी भविष्य में इस प्रकार से जारी स्थगन आदेशों की पूर्ण पालना की जावेगी। अतः प्रार्थना--पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 144/2018 हरपालसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह आदि में दिनांक 21.05.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 22.05.2018 को रास्ता खुलवाने के आदेश दिये हैं। प्रार्थी का कथन है कि स्थगन आदेश के बावजूद	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

अप्रार्थीगण रास्ता खुलवाया है अतः प्रश्नगत भूमि की दिनांक 21.05.2018 स्थिति कायम की जावे। इस न्यायालय के मतानुसार प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है। ऐंसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 2 'क' जाब्ता दीवानी 1908 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9/7/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)